झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचम (बजट)-सत्र
वर्ग-03

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक :- 26 फाल्गुन, 1937 (श0) को 16 मार्च, 2016 (ई0) झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
365	"क"-147-अ0सू0-17	श्री प्रदीप यादव	गबन की राशि को वापस करना।	नगर विकास	25.02.16
366	96.अ0सू0- 20	श्री प्रदीप यादव	उच्च स्तरीय समिति का गठन।	पथ निर्माण	25.02.16
367	97.अ0सू0-26	श्री राधाकृष्ण किशोर	चापानल को चालू कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	10.03.16
368	98.अ0सू0-27	श्री राधाकृष्ण किशोर	नाली का निर्माण	पथ निर्माण	10.03.16
369	99.अ0सू0-25	श्री प्रदीप यादव	दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	पथ निर्माण	10.03.16

नोटः- "क"-147- अ0सू0-17, दिनांक-09.03.2016 को सदन द्वारा स्थगित।

रॉंची,
दिनांक-16 मार्च, 2016 ई0।

विनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

कृ0पृ030/--

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0–05/15–...2195.../वि0स0,राँची,दिनांक–12/3/16

प्रतिलिपिः– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री /नेता विरोधी दल ,झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

12.03.16

(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0–05/15–...2195.../वि0स0,राँची,दिनांक–12/3/16

प्रतिलिपिः–माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय, को सूचनार्थ प्रेषित।

12.03.16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0–05/15–...2195.../वि0स0,राँची,दिनांक–12/3/16

प्रतिलिपिः–कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

12.03.16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

मंगल

14/03/16

गबन की राशि को वापस करना ।

"क" 147. श्री प्रदीप यादव--क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 27 शहरों के लिए करोड़ों रुपये की लागत से तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान में परामर्शी कंपनी मार्स प्लानिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी प्रा०लि० द्वारा समर्पित प्लान के 18 मास्टर प्लान में ढेरों खामियाँ पायी गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कम्पनी द्वारा ढेरों खामियों के बावजूद भी विभाग के पदाधिकारियों की सांठ-गांठ से उपरोक्त कम्पनी को बचाया गया है;

(3) यदि उपरोक्त सभी खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त कम्पनी को काली सूची में डालते हुए भुगतान किए गए राशि को वापस करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मेसर्स मार्स प्लानिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी प्रा०लि० नामक परामर्शी को 18 निकायों का मास्टर प्लान तैयार करने का दायित्व दिया गया है ।

परामर्शी द्वारा प्रथम चरण में समर्पित ड्राफ्ट मास्टर प्लान में कतिपय खामियाँ पाई गई है ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) अस्वीकारात्मक ।

उपर्युक्त प्रसंग में स्पष्ट करना है कि प्रथम चरण के ड्राफ्ट मास्टर प्लान में पाई गई खामियों के निराकरण हेतु निदेशक, नगरीय प्रशासन के स्तर से दिनांक 8 जनवरी, 2016 को समीक्षा बैठक कर विभागीय पत्रांक-139 (अनु०), दिनांक 8 जनवरी, 2016 द्वारा परामर्शी को ड्राफ्ट मास्टर प्लान में पाई गई खामियों के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है ।

196

मा0, स0वि0स0, श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 16.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 20 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष–2015–16 में राज्य की सभी पथ प्रमंडलों में कुल 100 करोड़ का रोड–फर्नीचर का काम कराया गया है ;	अस्वीकारात्मक । रू0 24.14 (रूपये चौबिस करोड़ चौदह लाख) करोड़ की लागत पर संबंधित कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके विरूद्ध रू0 14.81 (रूपये चौदह करोड़ एक्कासी लाख) करोड़ का व्यय हुआ है ।
2. क्या यह बात सही है कि पथ प्रमंडल, राँची, चाईबासा, कोडरमा, दुमका एवं देवघर में उक्त कार्य के आवंटन में घोर अनियमितता बरती गयी है ;	अस्वीकारात्मक । निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्य आवंटन किया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि रोड–फर्नीचर के किये गये कार्य निर्धारित प्राक्कलन के मापदंड के अनुरूप नहीं रहने के बावजूद भी पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक । ऐसी सूचना प्राप्त नहीं है ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय समिति कठित कर जांच कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	रोड–फर्नीचर का कार्य प्रक्रियानुसार किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–04/2016 1810(5) राँची/दिनांक : 15/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1512 दिनांक 25.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2016

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–04/2016 1810(5) राँची/दिनांक : 15/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2016

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

माननीय विधायक श्री राधाकृष्ण किशोर, सo/वoसo द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या –26 का उत्तर

क्र	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:–
1	क्या यह बात सही है कि सुखा प्रभावित पलामू जिले में भू–गर्भीय जल स्तर नीचे चले जाने के कारण फरवरी माह से ही पेयजल का घोर संकट उत्पन्न हो गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि पलामू जिले ग्रामीण क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 948760 है। कुल चालू चापाकलों की संख्या–20222 कुल 47 प्रति व्यक्ति पर एक चापाकल कार्यरत है जो राष्ट्रीय मानक से अधिक है। इसके अतिरिक्त जिले में अनेक सतही स्रोत आधारित योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है ताकि भूगर्भ जलस्तर को गिरने से रोका जा सके। विभाग द्वारा भूगर्भ जलस्तर के गिरते स्तर के कारण नलकूपों पर सतत् निर्भरता घटाने एवं सतही स्रोत आधारित जलापूर्ति योजना का DPR तैयार कर स्वीकृति कर कार्यान्वयन किया जा रहा है। निम्न सतही स्रोत आधारित योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है तथा चालू/कार्यान्वयन की जा रही योजनायें– **चालू योजना** (1) मेदिनीनगर शहरी पाईप जलापूर्ति योजना। (2) चैनपुर बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (3) पूर्वडीहा बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (4) सुदना बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (5) 209 अदद लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना। (6) 149 अदद सौर ऊर्जा चालित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। **निर्माणाधीन/स्वीकृत योजना** (1) बारालोटा बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (2) लेस्लीगंज बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (3) चुकरु बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (4) पांकी बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (5) सतबरवा बखोड़िया बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (6) 149 अदद सौर ऊर्जा चालित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (7) मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना फेज–।। कार्यादेश निर्गत की प्रक्रियाधीन है। (8) छत्तरपुर बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना निविदा प्रकिया में है।
2	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले में साधारण मरम्मति के कारण 1800 पाईप सड़े रहने के कारण 1200 तथा वृहद मरम्मति के कारण 1100 अर्थात् कुल 4100 चापानल खराब पड़े हुए है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पलामू जिले के जलस्तर प्रतिवेदन के अनुसार औसत जलस्तर 18–20 मीटर है, जिसमें अधिष्ठापित नलकूपों के संचालन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये। वित्तीय वर्ष 2015–16 में किये गये कार्य निम्न प्रकार नलकूप चालू किया गया है:– 1. साधारण मरम्मति – 4982 अदद 2. राईजर पाईप बदलकर – 1116 अदद 3. नये नलकूप निर्माण – 628 अदद इसके अतिरिक्त गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखण्ड से प्राप्त राशि से स्वीकृत योजना के अनुसार कुल लक्ष्य निम्नवत है:– 1. आवश्यकता आधारित नये नलकूप निर्माण– 628 अदद 2. राईजर पाईप बदल कर नलकूप चालू करना– 1116 अदद इस योजना की निविदा प्रक्रियाधीन है।

3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिले में व्याप्त पेयजल के घोर संकट से निजात हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है तथा खंड-2 में वर्णित खराब पड़े चापानलों को चालु कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपदा प्रबन्धन के तहत मो० 159.73 लाख रुपये प्राप्त हुआ है। जिसके विरुद्ध 307 अदद नलकूपों का निर्माण कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखण्ड से प्राप्त राशि से स्वीकृत योजना के अनुसार कुल लक्ष्य निम्नवत है:- 1. आवश्यकता आधारित नये नलकूप निर्माण- 628 अदद 2. राईजर पाईप बदल कर नलकूप चालू करना- 1116 अदद इस योजना की निविदा प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि०स०(अ०सू०)-01/2016 (पेय०)- 535/SWSM दिनांक 14.3.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 2170 वि०स० दिनांक 10.03.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMM 14/03/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि०स०(अ०सू०)-01/2016 (पेय०) - 535/SWSM दिनांक 14.3.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा-5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMM 14/03/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

198

मा0, स0वि0स0, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा दिनांक 16.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 27 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत अनुमंडलीय मुख्यालय छत्तरपुर से NH-98 सड़क गुजरती है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि छत्तरपुर से गुजरने वाली NH-98 सड़क के किनारे नाली नहीं रहने के कारण हमेशा नारकीय स्थिति बनी रहती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । बाजार भाग में नाली निर्माण नहीं रहने से चापाकल तथा घरेलू पानी का बहाव पथ पर होता है जिससे दो बिन्दुओं पर पथ क्षतिग्रस्त हुए हैं । क्षतिग्रस्त पथ के मरम्मति की कार्रवाई की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुमंडलीय मुख्यालय छत्तरपुर में NH-98 के दोनों तरफ नाली का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	NH-98 के पड़वा मोड़ से हरिहरगंज के चौड़ीकरण का डी0पी0आर0 निर्माण प्रक्रियाधीन है। प्रश्न में में उठाये गये बिन्दुओं का ध्यान डी0पी0आर0 में रखा जाता है। डी0पी0आर0 निर्माण के उपरांत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–07 / 2016 1791(3) राँची / दिनांक : 15/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2169 दिनांक 10.03.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

15/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–07 / 2016 1791(3) राँची / दिनांक : 15/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

15/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(199)

मा0. स0वि0स0, श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 16.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2009–10 में मेसर्स कमला कंसट्रक्शन (गुमला) ओर मेसर्स सरतगिरि कंस्ट्रक्शन (रांची) को सिमडेगा–रेगारी–करससई–बोलवा–ओड़िशा सीमा तक सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का काम मिला था ;	आंशिक स्वीकारात्मक । वर्ष 2009–10 में मेसर्स कृष्णा कन्सट्रक्शन, गुमला एवं मेसर्स सप्तगिरि कन्सट्रक्शन, रॉची–ज्वाईन्ट वेंचर फर्म को यह कार्य आवंटित किया गया था।
2. क्या यह बात सही है कि है कि एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप उक्त कम्पनियों ने निर्धारित समय सीमा पर मात्र 40% ही काम पूरा कर काम को बंद कर दिया है ;	स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि दोनों कम्पनियों की जमानत राशि 1.5 करोड़ भी वापस कर दी गयी और एकरारनामा के अनुरूप उससे 10.65 करोड़ की वसूली भी नहीं की गयी है ;	स्वीकारात्मक ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब इस गलत भुगतान में संलिप्त अधिकारी एवं ठेकेदार के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध विधिवत विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए दण्डात्मक कार्रवाई की गई है । विभागीय पत्रांक 3084(S) WE दिनांक 04.05.12 द्वारा संवेदक को भविष्य की सभी निविदाओं में भाग लेने से Debar किया गया है । संवेदक से 8.75 करोड़ रूपये की वसूली करने हेतु निलामवाद (Certificate case) सं0 59/13–14 दायर की गई है । पुर्नगणना के अनुसार संवेदक से कुल 10.65 करोड़ रूपये की शेष राशि (1.90 करोड़ रूपये) की वसूली में पूरक राशि को भी वसूली हेतु शामिल किया जायेगा । प्राथमिकी दर्ज करने के लिये भी कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–06/2016 1811(5) राँची/दिनांक : 15/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2154 दिनांक 10.03.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

15/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11– अ0सू0–06/2016 1811(5) राँची/दिनांक : 15/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पी॰ मुर्मू
15/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।